

सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र
गांधीनगर – 382007

Information and Library Network Centre
An Autonomous Inter-University Centre of UGC
Gandhinagar – 382007

No.INFL/ADMN/ICC/2025

मार्च 13, 2025

कार्यालय आदेश
OFFICE ORDER

केंद्र के माननीय निदेशक ने केंद्र में काम करनेवाली महिलाओंके मुद्दों और चिंताओं को दूर करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के संदर्भ में, आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित संरचना के साथ किया है।


Hon'ble Director of the Centre is pleased to reconstitute Internal Complaint Committee to address the issues and concern of women working in the Centre. In terms of sub-section(1) of Section 4 of Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redress) Act, 2013, with the following composition:

- | | |
|---|--|
| 1. श्रीमती वैशाली शाह, वैज्ञानिक-डी (एलएस)
Smt. Vaishali Shah, Scientist-D(LS) | - पीठासीन अधिकारी
- Presiding Officer |
| 2. श्री दिनेश रंजन प्रधान, वैज्ञानिक- डी (एलएस)
Shri Dinesh Ranjan Pradhan, Scientist-D(LS) | - सदस्य
- Member |
| 3. डॉ. सुरभी, वैज्ञानिक-सी (एलएस)
Dr. Surbhi, Scientist-C(LS) | - सदस्य
- Member |
| 4. श्रीमती हेमा वी.चोलिन, वैज्ञानिक-बी (एलएस)
Smt. Hema V. Cholin, Scientist-B(LS) | - सदस्य
- Member |
| 5. श्री रामकृष्ण वुलसला, प्रशासनिक अधिकारी (एफ)
Shri Ramakrushna Vulasala, AO(F) | - सदस्य सचिव
- Member Secretary |
| 6. डॉ. रोमा योगेश असनानी, एसटीओ-I (एलएस)
Dr. Roma Yogesh Asnani, STO-I(LS) | - सदस्य
- Member |
| 7. समिति एक सामाजिक कार्यकर्ता/कानून विशेषज्ञ/महिला
सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है/
Committee can co-opt a Social Worker/law expert,
person working for women empowerment/NGO etc. | - सदस्य
- Member |

समिति यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायतों की रोकथाम, निषेध और निवारण की जांच करेगी, और समय-समय पर माननीय निदेशक, इनफ्लिबनेट केंद्र को ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो नियमों में परिकल्पित है। जहां सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3-सी के अर्थ में यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, ऐसी शिकायत की जांच के लिए केंद्र में स्थापित शिकायत समिति को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाएगा, जैसा कि सीसीएस (सीसीए), 1965 नियमों के नियम 14 (2) में दिया गया है।

The Committee will look into prevention, prohibition and redress of complaints regarding sexual harassment, inquire and submit the report of such incident(s) to Hon'ble Director, INFLIBNET Centre, from time to time and as envisaged in the rules for the same. Where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3-C of the CCS (Conduct) Rules, 1964, the complaints committee established in the Centre for inquiring into such complaint, shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority, as provided in Rule 14(2) of the CCS (CCA) Rules, 1965.

समिति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में माननीय निदेशक, इन्फ्लिबनेट केंद्र को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
The Committee will submit Annual Report in each calendar year to Hon'ble Director, INFLIBNET Centre.


[हरीश चंद्र]
प्रशासनिक अधिकारी (पी एंड ए)

प्रति

1. पीठासीन अधिकारी और समिति के सदस्य
2. सूचना पट्ट
3. इंटरनेट एवं पोस्टसाइट

- प्रतिलिपि: 1. माननीय निदेशक – सूचनार्थे
2. सभी स्टाफ सदस्य
3. कार्यालय आदेश/व्यक्तिगत फाइल